राजस्थान – सरकार

शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ1 ()स्था/निकाशि/23/66 दिनांकः 24.01.23

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः– महाविद्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य अथवा संकाय सदस्य जिनके पास संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्यभार है, वह उक्त महाविद्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी होगे।

उक्त अधिकारियों को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अधीन वित्तीय नियमों एवं समय–2 पर जारी किये गये आदेशो के अधीन कार्यालयाध्यक्ष (प्राचार्य) को प्रत्यायोजित समस्त वित्तीय एवं अन्य शक्तियॉ अतिरिक्त कार्य करने की दिनांक से स्वतः प्राप्त होंगी।

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार नियमानुसार दोहरा भत्ता देय होगा। परन्तु परिवीक्षाकाल अवधि में उक्त सेवा नियमों के तहत किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। दोहरा कार्यभत्ता पद के पूर्ण कालिक पदस्थापन के बाद रिक्त होने की तिथि से अधिकतम 06 माह का देय होगा।

सोसायटी के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालय में नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा संकाय सदस्य जिनके पास नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्यभार है। वह उस सोसायटी द्वारा संचालित महाविद्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी से संबंधित कार्य सम्पादित करेगें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ1 ()स्था/निकाशि/23/66 दिनांकः 24.01.23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त कोषाधिकारी /उप कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, राजस्थान।
6. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ,जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
8. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. ~~ताराचन्द~~ बैरवा)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर